

सेवा में

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार  
वीरचन्द पठेल मार्ग, पटना

/पटना, दिनांक

विषय— विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेक्निक, सीतामढ़ी में सत्र 2018–19 से प्रवेश क्षमता में हुई वृद्धि के फलस्वरूप आवश्यक ड्राइंग टेबल/बोर्ड, स्टूल, बैंचडेस्क, कर्मशाला एवं प्रयोगशाला के उपस्कर/उपकरण/मॉडल के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रु. 10,00,000=०० (दस लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश— स्वीकृत ।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक, सीतामढ़ी के पत्रांक-270, दिनांक 28.12.2018 के द्वारा की गई मांग के आधार पर संस्थान में सत्र 2018–19 से प्रवेश क्षमता में हुई वृद्धि के फलस्वरूप आवश्यक ड्राइंग टेबल/बोर्ड, स्टूल, बैंचडेस्क, कर्मशाला एवं प्रयोगशाला के उपस्कर/उपकरण/मॉडल के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रु. 10,00,000=०० (दस लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट के “मुख्यशीर्ष-4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –०२–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-104 –बहुशिल्प, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-०१०२–पोलिटेक्निक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय” के अधीन 52 02 मशीने एवं उपस्कर—अन्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसका विपत्र कोड 43–4202021040102 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, सीतामढ़ी से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली-2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा तथा क्रय की गई मशीनरी/कम्प्यूटर/सामग्रियों की प्रविष्टि संस्थान के भंडार पंजी में करना प्राचार्य सुनिश्चित करेंगे एवं प्राचार्य इसे सत्यपित करेंगे।

6. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की जाने वाली उपकरण एवं उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होंगे तथा क्रय की गई उपकरण एवं उपस्कर की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि०, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/ —

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या— वि०प्रा० (III) यो०—०७/२०१७—

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ —

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या— वि.प्रा. (III) यो.—07 / 2017—

/ पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि:— कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

हॉ/ —

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या— वि.प्रा. (III) यो.—07 / 2017—

/ पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि:— प्राचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हॉ/ —

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या— वि.प्रा. (III) यो.—07 / 2017—

*687*

/ पटना, दिनांक— *22-2-19*

प्रतिलिपि:— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप  
निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं  
प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

लोक सभा